राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ4 (23)लेखा/आवाशि/अनुदान/2004–05/ 7 दिनांक 15 जून 2004

कुल सचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर ।

विषय– सत्र 2004–05 में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने बाबत

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर निर्देशानुसार नवीन महाविद्यालयों के लिए सत्र 2004–05 में प्रारम्भ करने हेतु निम्नांकित शर्तों पर 2004–05 के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को उनके नाम के सम्मुख अंकित संकाय/विषय हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है –

क्र. सं.	स्पोन्सरिंग ट्रस्ट/ संस्था का नाम	प्रस्तावित महाविद्यालय का नाम	संकाय/विषय
1.	विनायक शिक्षण संस्थान, शिवसिंहपुरा, सीकर	विनायक महाविद्यालय, चौमूं	स्नातक स्तर पर कला संकाय– अनिवार्य विषय सहित, संस्कृत, समाजशास्त्र, इतिहास लोकप्रशासन, राजनीति विज्ञान, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, गृह विज्ञान, चित्रकला, गणित, भूगोल विज्ञान संकाय– रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, भौतिकशास्त्र, गणित, भूगोल वाणिज्य संकाय– अनिवार्य विषय सहित, लेखाशास्त्र, व्यावसायिक संगठन, आर्थिक एवं वित्तीय प्रशासन, कम्प्यूटर सहित
2	टैगोर शिक्षण संस्थान, अजीतगढ़, सीकर	टैगोर बालिका महाविद्यालय, अजीतगढ़, सीकर	स्नातक स्तर पर कला संकाय अनिवार्य विषयों सहित– हिन्दी साहित्य, संस्कृत, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र
3	महलावत सांखोलिया शिक्षा एवं अनुसंधान समिति, शाहजहांपुर	शाहजहांपुर कालेज, शाहजहांपुर, बहरोड (अलवर)	स्नातक स्तर पर– कला संकाय अनिवार्य विषय सहित– संस्कृत, हिन्दी साहित्य, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, टेक्सटाइल्स क्राफ्टस, अंग्रेजी साहित, गृह विज्ञान ।
4	जे.डी. शिक्षण सेवा समिति, जगतपुरा, जयपुर	जे.डी. महिला महाविद्यालय, जगतपुरा, जयपुर	स्नातक स्तर– कला संकाय अनिवार्य विषय सहित– हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, लोक प्रशासन, भूगोल, इतिहास ।
5	कान्ता उपाध्याय स्मृति शिक्षण एवं शोध संस्थान, जयपुर	ज्ञानदीप महिला महाविद्यालय, जयपुर	स्नातक स्तर– वाणिज्य संकाय–अनिवार्य विषय सहित, ए.बी.एस.टी., ई.ए.एफ.एम., बी.एडम. वोकेशनल कम्प्यूटर
6	कठूमर आदर्श ग्रमोद्योग विद्यापीठ समिति, कठूमर (अलवर)	श्री माँ महिला महाविद्यालय, कठूमर (अलवर)	स्नातक स्तर– कला संकाय अनिवार्य विषय सहित– राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, हिन्दी साहित्य, संस्कृत, लोक प्रशासन ।
7	बाबा श्री नारायणदास अभिनव शिक्षा समिति, कोटपूतली (जयपुर)	बाबा श्री नारायणदास अभिनव महिला महाविद्यालय, अजीतगढ़ (सीकर)	स्नातक स्तर– कला संकाय अनिवार्य विषय सहित– इतिहास, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी साहित्य एवं हिन्दी साहित्य ।
8	एस.एस.जैन सुबोध शिक्षा समिति, जयपुर	एस.एस. जैन सुबोध गर्ल्स कालेज, जयपुर	स्नातक स्तर – कला संकाय अनिवार्य विषय सहित– राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, लोकप्रशासन, गृह विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, मनोविज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, चित्रकला, जी.पी.ई.एम., कम्प्यूटर सहित। स्नातक स्तर– वाणिज्य संकाय– अनिवार्य विषय सहित, ए.बी.एस.टी., ई.ए.एफ.एम., बी.एडम., कम्प्यूटर, जी.पी.ई.एम, टेक्सटाईल्स क्राफ्टस, ओ.एम.एस.पी. । स्नातक स्तर– विज्ञान सकाय– अनिवार्य विषय सहित– वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान भौतिक शास्त्र, बायो–टैक्नोलोजी, सांख्यिकी, एप्लाइड सांख्यिकी, गणित, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, कम्प्यूटर

		सीकर	साहित्य, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, ड्राइंग एण्ड पेंटिग, मनोविज्ञान, लोकप्रशासन एवं दर्शनशास्त्र ।
11	पर्यावरण व शिक्षण विकास संस्थान, जयपुर	शेखावाटी महाविद्यालय, कांवट (सीकर)	स्नातक कला संकाय– अनिवार्य विषयों सहित– इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, भूगोल, हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, ड्राइंग एण्ड पेंटिंग, गृह विज्ञान ।
12	राजस्थान आदिवासी शिक्षण संस्थान, छावनी रोड, नीमका थाना, सीकर	आर.टी.ई.टी. कालेज आफ टेक्निकल एज्यूकेशन, नीमकाथाना (सीकर)	मात्र बी.सी.ए. प्रारम्भ करने की अनुशंसा की जाती है ।

1. संस्था/महाविद्यालय को यू.जी.सी. द्वारा समय–समय पर जारी विनियमों/दिशा–निर्देशों की शब्दशः पालना करनी होगी।
2. अस्थाई परिसर में संस्था/महाविद्यालय को प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी तथा प्रथम वर्ष/पूर्वार्द्ध की कक्षायें चलाने हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध होना आवश्यक है। इसी प्रकार अगले वर्षों में चलायी जाने वाली कक्षाओं के लिए तदनुसार वर्ष में भवन उपलब्ध होना आवश्यक है ।
3. शिक्षण व अन्य शुल्क बाबत राज्य सरकार के निर्णयों को लागू करने हेतु संस्था व महाविद्यालय बाध्य होंगे।
4. छात्रों के प्रवेश से पूर्व महाविद्यालय को सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (affiliation) प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
5. स्वीकृत पाठ्यक्रमों हेतु सम्बन्धित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
6. महाविद्यालय में प्रवेश प्रदान करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड के अनुसार सुविधाओं को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय की होगी ।
7. राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई अनुदान उक्त संस्था/महाविद्यालय को देय नहीं होगा ।
8. आवश्यकतानुसार आयुक्त कार्यालय द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा संस्था/महाविद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा तथा संस्था/महाविद्यालय अधिकृत अधिकारी द्वारा चाहा गया अभिलेख उपलब्ध करायेगा ।
9. ट्रस्ट/संस्था की सम्पूर्ण योजना की अनुमानित लागत का 10 प्रतिशत व्यय प्रथम वर्ष में व्यय किये जाने की क्षमता का होना आवश्यक है ।
10. स्वीकृत पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालय में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं (मय यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यताधारी शिक्षकों तथा कम्प्यूटर कोर्स हेतु यूजीसी योग्यताधारी नहीं होने पर एआईसीटीई द्वारा निर्धारित योग्यता वाले शिक्षक) के सम्बन्ध में एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने की सुनिश्चितता से संस्था/महाविद्यालय द्वारा कालेज शिक्षा विभाग को अवगत करवाना आवश्यक होगा।
11. संकाय/विषयवार सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाकर राज्य सरकार एवं कालेज शिक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा तथा महाविद्यालय द्वारा तदनुसार संख्या सीमा में ही छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा ।
12. संस्था द्वारा स्थायी जमा में जमा करायी गई राशि 5 वर्ष तक जमा रखनी होगी तथा प्रत्येक 5 वर्ष बाद उसका नवीनीकरण कराया जावेगा।
13. संस्था द्वारा विश्वविद्यालय एवं संस्था के संयुक्त खाते में निर्धारित एण्डोमेंट राशि जमा करानी होगी।
14. उपरोक्त शर्तों के पालना नहीं करने पर राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात् जारी किये गये अस्थायी अनापत्ति प्रमाण–पत्र को निरस्त किया जा सकेगा ।

भवदीय,

15/6

(बी.एल.आर्य)
आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –
1. उप सचिव (जे), मा0मुख्यमंत्री महोदय, (उच्च शिक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,राजस्थान जयपुर ।
4. निजी सचिव, मा. उच्च शिक्षा राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
5. उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
7. जिला कलक्टर, जयपुर,/सीकर,/अलवर
8. अध्यक्ष/सचिव/मंत्री, सम्बन्धित संस्था/महाविद्यालय।
9. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
10. कम्प्यूटर शाखा, आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
11. संबंधित संस्था/ महाविद्यालय पत्रावली
12. रक्षित पत्रावली ।

15/6

संयुक्त–निदेशक (अनुदान)
कालेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर ।

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007-08/2245 दिनांक 7 जुलाई 2007

आदेश

निम्नलिखित महाविद्यालयों को राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार अकादमी सत्र 2007-08 से पूर्व मे संचालित संकायों/विषयों में स्थाई अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तो के साथ प्रदान किया जाता है:-

क्र. सं.	पत्रा. सं.	महाविद्यालय का नाम	महाविद्यालय का पता	सम्बद्धक विश्वविद्यालय	विषय/संकाय
1	11	बानसूर महाविद्यालय	बानसूर, अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
2	34	यूनिवर्सल पी.जी.कालेज	4 माइल स्योन, हिण्डोन रोड, महुवा	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
3	39	महात्मा गांधी पी.जी. महाविद्यालय	महवा, दौसा	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
4	49	विनायक कॉलेज चौमू	चौमू, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
5	54	सेंट जेवियरर्स कॉलेज	फागी, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
6	97	ओम कोठारी प्रबंध एवं अनुसंधान संस्थान	ए-1 स्पेशल,आई.पी.आई.ए.,झालावाड रोड, कोटा	कोटा विश्वविद्यालय कोटा	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
7	154	जानकी देवी महाविद्यालय	थानागाजी, अलवर	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
8	202	लक्की इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज	कमला नेहरू नगर, जोधपुर	जे.एन.व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
9	219	अरावली महाविद्यालय	एसपी-1, रीको औद्योगिक क्षेत्र, नीमकाथाना, सीकर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
10	244	श्री शिरडी सांई बाबा कॉलेज	किशनगढ, तह.सांभरले, जि.जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
11	248	संस्कार भारती महाविद्यालय	बगरू, तह.सांगानेर, जिला जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय
12	258	महावीर विधि महाविद्यालय	किरण पथ सेक्टर 4, मानसरोवर, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	विधि
13	264	ज्ञानदीप महाविद्यालय	संत आसाराम आश्रम के पास, लूनियावास, जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	पूर्व में संचालित संकाय एवं विषय

1. संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्वन प्राप्त करने का दायित्व स्वंय संस्था का होगा ।
2. संस्था महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु यू.जी.सी. अर्हताधारी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं तथा निर्धारित मानदण्डानुसार अशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति के साथ-2 अन्य निर्धारित शर्तो की पालना करेगी ।
3. राज्य सरकार संस्था को वर्तमान व भविष्य में इस हेतु कोई वित्तीय सहायता नहीं देगी ।

पृ२

4. संस्था को समय-2 पर यू.जी.सी./राज्य सरकार/आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करनी होगी ।
5. संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 तथा तत्सम्बन्धी नियम 1993 के सभी उपबन्धों की निरंतर अनुपालना सुनिश्चित की जावेगी ।
6. संस्था को स्थाई मान्यता इस शर्त पर जारी की जाती है कि संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का कभी भी उल्लंघन करने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही कर स्थायी मान्यता को प्रत्याहरित (Withdraw) किया जा सकता है ।
7. संस्था को प्रत्येक सत्र में कम से कम एक बार आयुक्त कार्यालय से निरीक्षण करवाने हेतु आवेदन करना होगा।
8. संस्था को दो वर्ष की अवधि में NAAC से मूल्यांकन करवाना अनिवार्य होगा ।
9. विधि महाविद्यालयों को बी.सी.आई. के नियमों की निरन्तर अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी ।
10. प्रति वर्ष आयुक्तालय से सांख्यकी पुस्तिका प्राप्त कर निर्धारित अवधि में पूर्ण सूचनायें भरकर आयुक्तालय को भेजेगी ।

(पवन कुमार गोयल)
आयुक्त

कमाक : एफ 4 (23) लेखा/आकाशि/अनु/2007-08/2258

दिनांक 7 जुलाई 2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

(i) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
(ii) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
(iii) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(iv) निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
(v) जिला कलेक्टर, अलवर/ दौसा/ जयपुर/ जोधपुर/ कोटा/ सीकर ।
(vi) उप सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(vii) विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा(ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
(viii) कुल सचिव राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर/ कोटा विश्वविद्यालय, कोटा/ जे.एन. व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर ।
(ix) सचिव, सम्बन्धीत महाविद्यालय ।
(x) सांख्यिकी शाखा, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
(xi) संबंधित संस्था/महाविद्यालय पत्रावली ।
(xii) रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त-निदेशक(अनुदान)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,जयपुर।